निर्वाचनों का संचालन नियम,1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 149. गोगून्दा (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचन निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री प्रताप लाल भील

मोटाविडा (दादिया) पोस्ट - मजावडी, तहसील - गोगुन्दा जिला - उदयपुर

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम)द्वारा खंडे किए गए ।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थानः उदयपुर

दिनांकः 03 दिसम्बर 2023



(हनुमान सिंह राठौड़) स्टिन्सिध्सार्स (इस.डी.एम.) वि.स.ने.डी. गोगुन्दा-149 विधानसभा क्षेत्र 149.गोगून्दा (अ.ज.जा.)

Conduct of election Rules.1961 (Statutory Rules and Order)

FORM - 21 C

(Sec. rule 64)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan From **149-Gogunda (ST)** Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People act. 1951, read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961, I declare that:-

Shri Pratap Lal Bheel (Name)

Motawida (Dadiya) Post- Majawadi Tehsil- Gogunda District- Udaipur (Address)

Sponsored by: Bharatiya Janata Party

(Name of recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency

Place: Udaipur Date: 03.12.2023

(Hanuman Singh Rathore)
Returning Officer
149-Gogunda(प्राप्ता) (एसडी एम) y
Subdivisional Magistrule भे भे मुन्यां व से onal
Officer Gogunda